न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 43 / 2021
सी.सी.एम.एस न. :- 2021 / 56

1. आसूराम पुत्र मेघाराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. रामचन्द पुत्र मेघाराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

----वादीगण

बनाम

1. मेघाराम पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) मृतक

1/1 गुड्डी बाई पुत्री मेघाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/2 तारा बाई पुत्री मेघाराम पत्नी सुगनाराम जाति नायक निवासी चक–15 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2. मंगलाराम पुत्र मेघाराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सही राम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. मदनलाल पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. नेतराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. चूनीलाल पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. बिलूराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. किशनाबाई पत्नी मांगीलाल पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी लालावाली तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)
9. चूनाबाई पत्नी रूपाराम पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी लालावाली तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)
10. बिशनाराम पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी हंसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. वकीलराम पुत्र बिशनाराम जाति नायक हंसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. सरवनराम पुत्र बिशनाराम जाति नायक निवासी हंसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. सुमन पत्नी प्रेमकुमार पुत्री बिशनाराम जाति नायक निवासी चक–5 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
14. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verif
Digitally signed by Sure
Rao
Date: 2025.04.28 18:39
Reason: SelfAttested

कमला देवी पत्नी मंगलाराम जाति नायक निवासी चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज)

———प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट –वादीगण की ओर से
2. श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट –प्रतिवादीगण सं–16 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक:–16.01.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है यह कि वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक–15 ए (बी) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–28 का पत्थर सं.–217/10 का 4.289 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का पारस्परिक घरेलू बटवारनामा दिनांक–25.03.2006 के अनुसार वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। एव तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अकन किये जाने का आदेश प्रतिवादीगण सं.–15 को दिया जावें। आदि आदि

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण मे कमला देवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी प्रस्तुत करने पर कमला देवी को प्रतिवादीगण सं.–16 के रूप में वाद में पक्षकार बनाया गया।

वाद पत्र में प्रतिवादीगण सं.–16 कमला देवी ने **प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि यह कि मूल खातेदार स्व. मेघाराम प्रतिवादी सं.–1 मन प्रतिवादीया का ससुर था स्व. मेघाराम ने अपने जीवनकाल में मन प्रतिवादीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी स्वयअर्जित एवं खातेदारी 4.289 हैक्टर कृषि भूमि मे से चक–15 ए (बी) का मु.न–28 प.न.–217/10 चक–15 ए (बी) का मु.नं.–28 प.नं.–217/10 का कि.नं.–2/2 का 0.190 हैक्टर, 12/3 का 0.114 हैक्टर, 13/2 का 0.215 हैक्टर, 14 ता 19 प्रत्येक सालम, 22/2 का 0.202 हैक्टर, 23/2 का 0.202 हैक्टर, 24/2 का 0.203 हैक्टर, 25/2 का 0.203 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.847 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि मन प्रतिवादीया को वसीयत में प्रदत करते हुऐ मन प्रतिवादीया के पक्ष में एक वसीयत दिनांक–29.07.2020 को बरोबरू गवाहन अपने पूर्ण होश हवास व स्वरर्थचित मन से लिखवाकर वसीयत को सुन समझकर व सही होना मानकर अपनी अगुठा निशानी अंकित कर मन प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित कर उक्त वसीयत को स्वयं मेघाराम द्वारा दिनांक–29.07.2020 को उप पंजीयक अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत कर मन प्रतिवादीया के पक्ष में पंजीकृत करवाकर असल वसीयत मन प्रतिवादीया के हवाले कर दी थी यह कि मूल खा[illegible] मेघाराम की मृत्यू दिनांक–16.10.2021 को हो चुकी है स्व. मेघाराम के [illegible] निष्पादित वसीयत दिनांक–29.07.2020 प्रभाव में आ चुकी है व वसीयत में वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के समस्त हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थीया में निहित हो चुके [illegible] द्वारा मूल खातेदार स्व. मेघाराम की कुल 4.289 हैक्टर कृषि भूमि के सम्बध [illegible] पारिवारिक घरेलू बटवारानामा के आधार पर खातेदार अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है जबकि स्व. मेघाराम द्वारा अपनी उक्त कुल 4.289 हैक्टर में से 2.847 हैक्टर की वसीयत दिनांक–29.07.2020 को रोबरू गवाहन निष्पादित कर उप पंजीयक अनूपगढ से पंजीकृत करवा रखी है ऐसी स्थिति में जब तक वादीगण उक्त पंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त नंही करवा लेते तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Sure
Rao
Date: 2025.04.28 18:39
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

…ण हस्तगत वाद पत्र के माध्यम से घोषणा का अनुतोष प्राप्त नंही कर सकते है क्योकि विधि …ह सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय ही निरस्त करने में … हैं ऐसी स्थिति में वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं हैं वाद पत्र …काररहित प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा ऐसे वाद पत्र में आगे कार्यवाही किया … न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित …के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है यह कि वादीगण का वाद पत्र श्रीमान …ालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नंही है बल्कि वादीगण का उक्त वाद पत्र सिविल …ालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है क्योकिं वादी पंजीकृत दस्तावेज वसीयत को सिविल …ालय से निरस्त करवाये बिना श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का …क अधिकारी नंही है अतः वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती … है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं.–16 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र …कार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाया जावे। …स्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या–16 ने कभी भी अपने ससुर मेघाराम की सेवा चाकरी नहीं …ी एवं ना ही पिता मेघाराम ने प्रार्थना–पत्र में दर्ज कृषि भूमि की वसीयत तथाकथित दिनांक– …9.07.2020 को प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित की तथा ना ही कभी उप पंजीयक महोदय, अनूपगढ़ …के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वसीयत को पंजीबद्ध करवाया है प्रतिवादीया द्वारा उक्त वसीयत फर्जी …व कूटरचित तैयार की गई है यह कि प्रार्थना–पत्र इस हद तक स्वीकार है कि मूल खातेदार पिता …घाराम की मृत्यु दिनांक–16.10.2021 को हो चुकी हैं जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है …कि पिता मेघाराम ने तथाकथित दिनांक–29.07.2020 को कोई वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित …नही की है, ऐसी स्थिति में उक्त तथाकथित वसीयत के प्रभाव में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता …तथा ना ही उक्त खातेदारी कृषि भूमि के कोई अधिकार एवं/अधिपत्य प्रतिवादीया के पक्ष में निहित …हुए हैं यह कि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य असत्य, गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार हैं …जैसा कि पूर्व में निवेदन किया गया है कि तथाकथित दिनांक को कभी कोई वसीयत पिता मेघाराम …ने प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित नहीं की है तब ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत सिविल न्यायालय …से निरस्त करवाने की कतई आवश्यकता नहीं हैं चूंकि उक्त वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है जिससे …प्रतिवादीया कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं एवं वाद वादीगण किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं …विधिनुसार ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र …विवादित कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसकी …सुनवाई करने श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त हैं एवं वाद वादीगण …किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं विधिनुसार ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है …अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त …फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर …निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्य असत्य, गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है …वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या 16 ने कभी भी अपने ससुर मेघाराम की सेवा चाकरी …की एवं ना ही पिता मेघाराम ने प्रार्थना–पत्र में दर्ज कृषि भूमि की वसीयत तथाकथित दिनांक… …प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित की तथा ना ही कभी उप पंजीयक महोदय अनूपगढ़ के समक्ष …उपस्थित होकर उक्त वसीयत को पंजीबद्ध करवाया है प्रतिवादीया द्वारा … …कूटरचित तैयार की गई है यह कि प्रार्थना–पत्र इस हद तक स्वीकार है कि मूल खातेदार पिता …मेघाराम की मृत्यु दिनांक 16.10.2021 को हो चुकी हैं जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है …कि पिता मेघाराम ने तथाकथित दिनांक को कोई वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित नहीं की है, …ऐसी स्थिति में उक्त तथाकथित वसीयत के प्रभाव में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा ना ही …उक्त खातेदारी कृषि भूमि के कोई अधिकार एवं/अधिपत्य प्रतिवादीया के पक्ष में निहित हुए हैं यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Rao
Date: 2025.04.28 18:39:
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

र्थना पत्र दर्ज तथ्य असत्य, गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार हैं जैसा कि पूर्व में न किया गया है कि तथाकथित दिनांक को कभी कोई वसीयत पिता मेघाराम ने प्रतिवादीया क्ष में निष्पादित नहीं की है तब ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत सिविल न्यायालय से निरस्त ाने की कतई आवश्यकता नहीं हैं चूंकि उक्त वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है जिससे प्रतिवादीया अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं अतः एवं वाद वादीगण किसी भी विधि से वर्जित नहीं है विधिनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र विवादित कृषि में अपने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसकी सुनवाई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त हैं अतः एवं वाद वादीगण किसी विधि से वर्जित नहीं हैं विधिनुसार ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है अतः ब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया वें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों ा अवलोकन किया।

वकील प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य को दौराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि मूल खातेदार स्व. मेघाराम प्रतिवादी सं.–1 मन प्रतिवादीया का ससुर था स्व. मेघाराम ने अपने जीवनकाल में मन प्रतिवादीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी स्वयअर्जित एवं खातेदारी 4.289 हैक्टर कृषि भूमि मे से चक–15 ए (बी) का मु.नं.–28 पं.नं.–217/10 का मु.नं.–28 पं.नं.–217/10 चक–15 ए (बी) का मु.नं.–28 पं.नं.–217/10 का कि.नं.–2/2 का 0.190 हैक्टर, 12/3 का 0.114 हैक्टर, 13 का 0.215 हैक्टर, 14 ता 19 प्रत्येक सालम, 22/2 का 0.202 हैक्टर, 23/2 का 0.202 हैक्टर, 24/2 का 0.203 हैक्टर, 25/2 का 0.203 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.847 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि मन प्रतिवादीया को वसीयत में प्रदत करते हुऐ मन प्रतिवादीया के पक्ष में एक वसीयत दिनांक–29.07.2020 को बरोबरू गवाहन अपने पूर्ण होश हवास व स्वस्थचित मन से लिखवाकर वसीयत को सुन समझकर व सही होना मानकर अपनी अगुठां निशानी अंकित कर मन प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित कर उक्त वसीयत को स्वयं मेघाराम द्वारा दिनांक–29.07.2020 को उप पंजीयक अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत कर मन प्रतिवादीया के पक्ष में पंजीकृत करवाकर असल वसीयत मन प्रतिवादीया के हवाले कर दी थी यह कि मूल खातेदार मेघाराम की मृत्यू दिनांक–16.10.2021 को हो चुकी है स्व. मेघाराम के देहान्त उपरांत उनके द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक–29.07.2020 प्रभाव में आ चुकी है व वसीयत में वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के समस्त हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थीया में निहित हो चुके है यह कि चूंकि वादीगण द्वारा मूल खातेदार स्व. मेघाराम की कुल 4.289 हैक्टर कृषि भूमि के सम्बधं में तथाकथित पारिवारिक घरेलू बटवारानामा के आधार पर खातेदार अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है जबकि स्व. मेघाराम द्वारा अपनी उक्त कुल भूमि 4.289 हैक्टर मे से 2.847 हैक्टर की वसीयत दिनांक 29.07.2020 को रोबरू गवाहन निष्पादित कर उप पंजीयक अनूपगढ़ से पंजीकृत करवा रखी है ऐसी स्थिति में जब तक वादीगण [illegible] को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब वादीगण हस्तगत वाद पत्र के माध्य[illegible] घोषणा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योकिं विधि का यह सु[illegible] पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय ही निरस्त करने में सक्षम हैं ऐ[illegible]ति में वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नंही है वाद पत्र अधिकाररहित प्रस्तु[illegible] विधि विरूद्ध है तथा ऐसे वाद पत्र में आगे कार्यवाही किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है यह कि वादीगण का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नही है बल्कि वादीगण का उक्त वाद पत्र सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है क्योकिं वादी पंजीकृत दस्तावेज वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना श्रीमान

Signature Not Ver
Digitally signed by Sur
Rao
Date: 2025.04.28 18:3
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

...य से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है अतः वादी का वाद ...ि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ...तिवादी सं. 16 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाया जावे। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या–16 ने ...ी अपने ससुर मेघाराम की सेवा चाकरी नहीं की एवं ना ही पिता मेघाराम ने प्रार्थना–पत्र में कृषि भूमि की वसीयत तथाकथित दिनांक को प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित की तथा ना ही ...उप पंजीयक महोदय, अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वसीयत को पंजीबद्ध करवाया ...तिवादीया द्वारा उक्त वसीयत फर्जी एवं कूटरचित तैयार की गई है यह कि प्रार्थना–पत्र इस हद स्वीकार है कि मूल खातेदार पिता मेघाराम की मृत्यु दिनांक–16.10.2021 को हो चुकी हैं जैसा पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि पिता मेघाराम ने तथाकथित दिनांक को कोई वसीयत ...वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं की है, ऐसी स्थिति में उक्त तथाकथित वसीयत के प्रभाव में आने ...प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा ना ही उक्त खातेदारी कृषि भूमि के कोई अधिकार एवं/अधिपत्य ...तिवादीया के पक्ष में निहित हुए हैं यह कि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य असत्य, गलत एवं निराधार ...ने के कारण अस्वीकार हैं जैसा कि पूर्व में निवेदन किया गया है कि तथाकथित दिनांक को कभी ...ोई वसीयत पिता मेघाराम ने प्रतिवादीया के पक्ष में निष्पादित नहीं की है तब ऐसी स्थिति में उक्त ...सीयत सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की कतई आवश्यकता नहीं हैं चूंकि उक्त वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है जिससे प्रतिवादीया कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। एत एवं वाद वादीगण किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं विधिनुसार ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र विवादित कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ...का पेश किया गया है जिसकी सुनवाई करने श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त है। एतएव वाद वादीगण किसी भी विधि से वर्जित नहीं है। विधिनुसार ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ...मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया जावे। दृष्टांत **2006 डब्लयू. एल. सी.(यू.सी.)पेज 283 एवं** ...**आरटी 2019(1) आरआरटी पेज 184** प्रस्तुत किये।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी मौखिक बहस में जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए ...निवेदन किया कि वादी के द्वारा विवादित भूमि में बटवारानामा के आधार पर खातेदार अधिकारो की घोषणा के संबंध में अनुतोष चाहा है तथा राजस्व न्यायालय उक्त अनुतोष प्रदान कर सकता है चूंकि प्रतिवादीगण के पक्ष में कमला देवी के द्वारा निष्पादित एवं पंजीबद्ध वसीयत आरंभ से ही प्रभावहीन एवं प्रभावशून्य दस्तावेज हैं ऐसी स्थिति मे राज. काश्त. अधिनियम की धारा 207 की तृतीय सूची के अनुसार माननीय न्यायालय ऐसा अनुतोष प्रदत करने मे सक्षम है। प्रकरण में विधि एवं तथ्यो के मिश्रित प्रश्न है जिसका निस्तारण साक्ष्य आने के बाद ही तय हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं श्रेत्राधिकार का है जो किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। अपने उक्त तथ्यों के संबंध में **न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003(1) पेज 513, आरआ**[illegible] **आरआरडी 1988 पेज 391, आरआरडी 1985 पेज 274, डब्लयू. एल. एन. 1984 पेज** [illegible] प्रस्तुत किये।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायालय यह पाता है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि का उपपजीकृत बटवारानामा के आधार पर खातेदार अधिकारो की घोषणा के संबंध में अनुतोष चाहा है जबकि मूल खातेदार स्व. मेघाराम खातेदार अपने जीवन काल में ही अपनी उक्त विवादित कुल भूमि 4.289 हैक्टर में से 2.887 हैक्टर की विसीयत दिनांक 29.07.2020 को रोबरू गवाहन प्रतिवादीगण सं.–16 कमलादेवी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा रखी है एसी सूरत मे कमला देवी के पक्ष में निष्पादित एवं पजीबद वसीयत को

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sur... Rao
Date: 2025.04.28 18:3...
Reason: SelfAttested

...दाज वादीगण को अनतोष प्रदत नहीं किया जा सकता है। कृषि भूमि के संबध में पंजीबद्ध ...त के सबंध मे सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एव अधिकारता सिविल न्यायालय को है वसीयत ...ता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णत नही कि जा सकती तथा ऐसी स्थिति मे वादीगण पजीकृत ...त को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना श्रीमान न्यायालय से इसी प्रकार अन्तोष ...करने के अधिकारी नही है वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने कारण काबिल निरस्त है ...प्रार्थीया कमला देवी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामजुर किया जाना न उचित ...त होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कमला देवी (प्रतिवादीगण सं.–16) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना ...आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण के हस्तगत वाद पत्र को इसी ...स्था पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक–16.01.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sures...
Rao
Date: 2025.04.28 18:39...
Reason: SelfAttested